न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 16/2019 अपील/डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक– 08.01.2019
निर्णय दिनांक– 04.07.2019

श्री सोका उर्फ चोखला पिता लालिया मीणा, निवासी पारडा चुण्डावत तहसील साबला जिला डूंगरपुर

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती धनकी पुत्री लालिया मीणा, निवासी पारडा चुण्डावत तहसील साबला जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती कंकुड़ी पुत्री लालिया निवासी पारडा चुण्डावत हाल निवासी डगोया, ओड़ा तहसील साबला जिला डूंगरपुर
3. सरपंच,ग्राम पंचायत दौलतपुरा, तहसील साबला जिला डूंगरपुर

..................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री परमेश्वर पण्ड्या : अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
के प्रकरण संख्या 01/2017 निर्णय दिनांक 14.02.2017

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 04.07.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आसपुर के

प्रकरण संख्या 01/2017 निर्णय दिनांक 14.02.2017 के विरूद्ध द्वितीय अपील दिनांक 08.03.2017 को पेश की गई है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इस अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पारड़ा चुण्डावत पटवार हल्का दौलपुरा के नामान्तरणकरण संख्या 197 निर्णय दिनांक 09.10.2010 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके पिता श्री लालिया पिता पुरिया मीणा की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा मिलीभगत कर अपने आप को लालिया का पुत्र बताकर उक्त नामान्तरकरण अपने नाम करा लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.02.2017 से नामान्तरकरण संख्या 197 को निरस्त कर स्वर्गीय लालिया के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के तहसीलदार साबला को निर्देश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये रजिस्टर्ड तामिल भिजवाई गई, किन्तु वह अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट के अधिवक्ता की दिनांक 27.06.2019 को एकतरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि लालिया का स्वर्गवास हो जाने से कथित जमीन अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई। लालिया ने अपने भाई के लड़के सोका अपीलार्थी को गोद रखा था तथा उसी ने लालिया की सेवा चाकरी की, मृत्यु उपरान्त सोका उर्फ चोखला ही स्व. लालिया का एकमात्र वारिस था व इसी अनुसार पटवारी द्वारा उसके नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। स्व. लालिया अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा उस पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा लौगों के बहकावे में आकर जानबूझकर केवल एक म्यूटेशन के विरूद्ध ही अपील पेश की तथा केवल एक म्यूटेशन संख्या 197 को ही चेलेन्ज किया, जबकि अन्य म्यूटेशन संख्या 344, 345 को कहीं पर भी चेलेन्ज नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह सब बातें बता दी गई, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार किए बिना तथा अपील सात वर्षो बाद पेश की गई थी, जिसके देरी का कोई वास्तविक कारण नहीं होते हुए भी अपील स्वीकार कर मामला रिमाण्ड

कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा बताये गये केसलॉ का हवाला अपने फैसले में दिये बिना जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। मृतक के अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने से उस पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, उस पर ओल्ड हिन्दू लॉ के अनुसार ही किसी मृतक के वारिसान को सम्पति मिलती है तथा इस मामले में लडत्रकिया वारिस नहीं होती है जैसा कि आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 901, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) बहुत ही स्पष्ट है, इसके लिए 1988 आर.आर.डी. पेज 61 व आर.आर.डी. 1966 पेज 71 पर लार्जर बेन्च द्वारा तय किया गया है। इसी बिन्दु को आर.आर.डी. 2002 पेज 31, आर.आर. डी. 2006 पेज 464 पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने तय किया है। इसी बिन्दु को आर.आर.डी. 2006 पेज 577, आर.बी.जे. 2007 पेज 114, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1437, डी.एन.जे. 2016 पेज 28, आर.आर.डी. 2007 पेज 470 पर तय किया गया है तथा उसके आधार पर लड़कियो को कोई हक अधिकार नहीं मानते हुए रिमाण्ड आदेश निरस्त किया गया है। इस मामले में भी रिमाण्ड आदेश बिना अधिकार के होकर वोइड है तथा ऐसे आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट स्व.लालिया का एक मात्र पुत्र है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मयाद कण्डोन का कोई प्रार्थना पत्र नहीं होतु हुए भी 7 साल मयाद कण्डोन करने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय करना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं कर सीधे ही मेरिट पर आदेश पारित किया गया, जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा न तो मयाद कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं न ही न्यायालय द्वारा मयाद कण्डोन के संबंध में कोई आदेश दिया गया, ऐसे मामले में याद कण्डोन नहीं की जा सकती है। यहां तक कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि मयाद कण्डोन के प्रार्थना पत्र के बिना अपील ही लाई नहीं होती है जैसा कि आर.बी. जे. 2012 पेज 656 पर तय किया गया है तथा इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश शुदा अपील को निरस्त कराया जाना आवश्यक है। कानूनन जब तक लिमिटेशन का व दुसरे प्रार्थना पत्र फैसल नहीं कर दिये जाते, तब तक अपील को मेरिट पर तय नहीं किया जा सकता है। अगर मेरिट पर तय कर दिया तो वह आदेश वोइड होकर बिना अधिकार के माना जावेगा जैसा कि आर.बी.जे. 2009 पेज 786, डी.एन.जे. 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 141, आर.आर.टी 2001 पेज 421, आर.आर.टी. 2014 पेज 248, आर.आर.टी. 2013 पेज 546, आर.आर.टी. 2008 पेज 440, आर.बी.जे. 2007 पेज 111 व 98 पर तय

किया गया है। इस प्रकार इन सब रूलिंग्स के आधार पर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2017 निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि मूल नामान्तरकरण संख्या 197 में लालिया जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता है,की मृत्यु पर पटवारी द्वारा यह नोट लगाया गया कि

''खातेदार लालिया फोत होने से इन्द्राज परिवर्तन हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र एव पीढीनामा चस्पा कर श्रीमान् की सेवामें पेश है।''

पीढीनामा जो पेश किया गया है, उसमें अंकन किया गया है कि पत्नी नवली की मृत्यू हो चुकी है। पुत्रीयां नहीं है। सोका अपीलान्ट को वारीस बताया गया है, परन्तु किस आधार पर वह वारीस है, यह स्पष्ट नहीं है। प्रकरण में गिरदावर द्वारा अंकन किया गया है कि पंचायत वारीसदारान की पुष्टि कर निर्णय लें। आश्चर्यजनक रूप से सरपंच द्वारा दिनांक 09.10.2010 को उक्त नामान्तरकरण को बिना कुछ उल्लेख किये नामान्तरकरण प्रमाणित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. सं. 1 व 2 की अपील पर सरपंच द्वारा अपीलान्ट को लालिया की पुत्री होना माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर लालिया के सभी विधिक वारीसान को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने को नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है।

प्रकरण में अपीलान्ट के प्रमुख अपील उज्र यह है कि प्रकरण अनुसूचित जनजाति से संबंधित है एवं जनजाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा नजीरे इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति में अन्यथा यदि कोई रूढि प्रचलित हो एवं अपीलान्ट द्वारा उसे प्रमाणित किया जाये तो पुत्रियों को वंचित किये जाने का कोई औचित्य है। वैसे भी अनुसूचित जनजाति में एवं इस क्षेत्र में पुत्रियों को विरासत से वंचित किये जाने की कोई रूढ़ि प्रचलन में होना अपीलान्ट द्वारा अवगत नहीं कराया गया है। यह भी सुस्पष्ट है कि लालिया के पुत्रियां नहीं होने का पटवारी द्वारा उल्लेख किया गया है, जबकि लालिया की पुत्रियां रेस्पो.सं. 1 व 2 नहीं होना कहीं भी अपीलान्ट ने उल्लेखित नहीं किया है। यदि किसी जनजाति के व्यक्ति के पुत्र व पुत्रियों में उत्तराधिकार का विवाद हो तो पुत्र ऐसे उज्र ले सकता है, परन्तु जहां पुत्र ही नही हो व सिर्फ पुत्रियां हो, वहां उसकी पुत्रियों को वंचित किया जाकर किसी अन्य को जिसका मृतक खातेदार से रिश्ता अथवा उसका उत्तराधिकार प्राप्त करने का कोई आधार ही नहीं हो, ऐसे नामान्तरकरण को

कदापि विधिक नहीं कहा जा सकता। पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्रियों को वंचित करते हुए किसी तृतीय ईकाई को मृतक का उत्तराधिकार दिया जाना, अनुसूचित जनजाति में भी न तो विधिक है, न तार्किक, न उचित है।

अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरे मियाद बाबत प्रस्तुत की गई है। जिनका इस प्रकरण के तथ्यों के अनुरूप इस प्रकरण पर चस्पानगी नहीं होती क्योंकि प्रथम दृष्टया ही तथ्यगत एवं विधिक रूप से मूल नामान्तरकरण नहीं खोला गया है क्योंकि पुत्रियां होते हुए, पुत्रियां नहीं होना वर्णित किया गया है तथा पुत्रियों का प्रथम अधिकार विधिक है। अतः विधिक रूप से मूल नामान्तरकरण का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। तद्नुसार झूठे तथ्यों एवं विधिविरूद्ध निर्णयों में मियाद का कोई महत्व नहीं होता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तकनीकी बिन्दु मियाद पर विवेचन करने की उपादेयता ही नहीं है, क्योंकि मूल नामान्तरकरण का निर्णय ही झूठे तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध खोला गया है। ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दु लागू ही नहीं होता।

हम यह भी पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मूल नामान्तरकरण को अपास्त करने के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को दोनों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किये जाने के लिए प्रकरण को तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है, अर्थात् प्रकरण में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में हक अधिकार व पुत्रियों की तुलना में बेहतर अधिकार बाबत चाराजोही कर अपने हक अधिकारों को प्रमाणित करने को अभी भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार अधिकृत है। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में अपीलान्ट की यह अपील की पोषणीयता पूर्णतया अप्रासंगिक है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत हम अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करते है।

मिसल फैसल शुमार हो, आदेश सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

(एल0एन0मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर